



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

Ministry of Education (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
Ministry of Education (Ministry of HRD, Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

प.सं. 5-119/2022 (शै.)/मसारावेविप्र/ 1119

दिनांक : 22.04.2022

वेद विभूषण – प्रथम वर्ष -आनलाइन पंजीयन(Online Registration) अधिसूचना

वेदपाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में वर्ष 2022-23 में श्रुति परम्परा के अनुसार वेदों के सस्वर अध्ययन हेतु वेद विभूषण प्रथम वर्ष में छात्रों के आनलाइन पंजीयन के संबंध में ।

महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में वेद भूषण 1-3 (प्रथमा स्तर) एवं वेद भूषण 4-5 (पूर्व मध्यमा स्तर) से तथा वेद विभूषण 1-2 (उत्तर मध्यमा स्तर) तक कुल सात वर्षों का वेदों के सस्वर अध्ययन पाठ्यक्रम चलाया जाता है।

प्रतिष्ठान द्वारा संचालित वेदपाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में श्रुति परम्परा के अनुरूप वेदों के सस्वर अध्ययन हेतु वेद विभूषण -प्रथम वर्ष में आनलाइन पंजीयन (Online Registration) आवेदन दिनांक 25/04/2022 से 31/05/2022 तक प्रत्येक वेदपाठशाला / प्रत्येक गुरु-शिष्य परम्परा इकाई में स्वीकार्य किए जाएंगे ।

"गैर-वित्तपोषित इकाइयां" स्वीकृत नहीं होंगी। हालाँकि, वित्तपोषित वेद शिक्षक पाँच गैर-वित्तपोषित छात्रों को वेद पढ़ा सकते हैं। वित्तपोषित वेद शिक्षक के संख्या में (गुरु-शिष्य परम्परा/ पाठशाला) के तहत कई खाली वित्तपोषित सीटें हैं। इसलिए, सभी खाली वित्तपोषित छात्रों की सीटें प्राथमिकता के आधार पर भरी जाएं। नियमित वेद पढ़नेवाला सभी छात्रों को प्रोत्साहित करना प्रतिष्ठान का उद्देश्य है।

वित्त पोषित वेद छात्र के रूप में प्रवेश होने पर, आधार संख्या सत्यापन होने, अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते होने पर भारत सरकार की ओर से भोजन एवं आवास –रखरखाव हेतु ₹.3000/ प्रति माह वित्त पोषित वेदपाठशाला को / वित्त पोषित गुरु-शिष्य परम्परा इकाई के खाते में एवं स्वतः व्यय हेतु वित्त पोषित वेद छात्र के अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते में ₹.1000/ प्रति माह प्रेषित किए जाएंगे । वेद अध्ययन हेतु वेदपाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में छात्र के साक्षात उपस्थित होने पर ही भोजन एवं आवास –रखरखाव अनुदान मंत्रालय से प्राप्त बजट के अन्तर्गत प्रदान किया जाएगा । वेद गुरु द्वारा साक्षात अध्यापन एवं छात्र द्वारा निरन्तर अध्ययन में छात्रावास एवं विद्यालय में उपस्थित रहने का प्रमाणपत्र पर ही स्वतः व्यय हेतु वित्त पोषित वेद छात्र के संयुक्त बैंक खाते में ₹.1000/ प्रति माह प्रेषित किए जाएंगे ।

Page 1 of 4

दूरभाष (0734)2502266, 2502254, 2502255 फैक्स (0734-2502253)

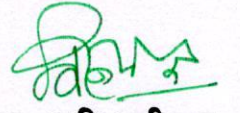
E-mail : msrvvpunj@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in

वेदपाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में वेद विभूषण प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने हेतु छात्र को आनलाइन प्रवेश प्रपत्र में निम्न अभिलेखों (Documents) की आवश्यकता होगी :

- 1 वेद भूषण-5 उत्तीर्ण अंकसूची (Mark-sheet) की स्केन प्रति संलग्न करना अत्यंत अनिवार्य है। वेद भूषण के सभी पाचों वर्षों के सभी पत्रों में (वेद एवं आधुनिक विषय) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- 2 वेद भूषण अंकसूची में उल्लिखित जन्म तिथि अन्तिम माना जायेगा। वेद भूषण अंकसूची में उल्लिखित जन्म तिथि से अन्य जन्म तिथि या कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।
- 3 आधार कार्ड प्रति एवं पूर्व अध्ययन अंक पत्र जांच हेतु संलग्न करना अत्यंत अनिवार्य है।
- 4 छात्र की वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई में वेद भूषण-5 से वेदविभूषण-1 में निरन्तर अध्ययनरत हैं, उन का पंजीयन ही मान्य होगा।
- 5 प्रवेश हेतु छात्र का अभिभावक के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता होना अत्यावश्यक है। बैंक में अभिभावक के साथ संयुक्त खाता न होने पर छात्र का प्रवेश वित्त पोषित छात्र के रूप में किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। प्रवेश हेतु छात्र के अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिस पर छात्र तथा अभिभावक का चित्र संलग्न एवं खाता संख्या मुद्रित है), की स्केन प्रति आवश्यक होगी।
- 6 वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई में प्रवेश, भोजन एवं आवास हेतु कोई /डोनेशन/ फीस अथवा अन्य धरोहर राशि /किसी को भी देय नहीं।
- 7 वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई स्तर पर, प्रतिष्ठान से निर्देश प्रति तक पंजीयन अस्थाई ही होगा।
- 8 किसी भी परिस्थिति में वेद भूषण अंकसूची में उल्लिखित जन्म तिथि से कोई परिवर्तन नहीं होगा।

अतः वेदपाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में प्रवेश हेतु इच्छुक समस्त विद्यार्थी निम्न लिखित अभिलेखों को पृथक-पृथक JPEG प्रारूप में स्केन प्रति तैयार रखें।

1. छात्र का नवीनतम रंगीन छाया चित्र (40 KB तक) की JPEG प्रति
2. छात्र के अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिस पर छात्र तथा अभिभावक का चित्र संलग्न एवं खाता संख्या मुद्रित है), की JPEG प्रति
3. कक्षा वेद भूषण-5 उत्तीर्ण अंकसूची (Mark-sheet) / प्रमाण पत्र की JPEG प्रति
4. आधार कार्ड की JPEG प्रति


(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड़ीपाल)
सचिव

वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई में वेद विभूषण-1 पंजीयन संबन्धी दिशा निर्देश एवं सोपान

1. वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक अपने अधीन पंजीयन के लिए इच्छुक छात्रों के पंजीयन विवरण प्रपत्र को छात्र /अभिभावक से भरवाकर, छात्र एवं उसके अभिभावक से यथास्थान हस्ताक्षर कर, अभिलेखों के साथ रख लें। अनिवार्य (Educational Certificate, वेद विभूषण Certificate, Joint A/C Pass Book, Aadhaar Copy) एवं वांछनीय अभिलेखों की स्मार्ट फोन स्कैनर द्वारा स्कैन प्रति तैयार कराकर पृथक् पृथक् JPEG प्रारूप में रखें।
2. वेदपाठशाला के व्यवस्थापक/ गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक अपने लाग-इन-एडि(Log-in-Id) से आनलाइन पंजीयन (Online Registration हेतु प्रतिष्ठान वेबसाइट में प्रवेश करें।
3. छात्र /अभिभावक द्वारा भरे गये पंजीयन विवरण पत्र अनुसार ही आनलाइन पंजीयन (Online Registration) हेतु कम्प्यूटर द्वारा विवरण भरकर छात्र का रजिस्ट्रेशन करें। अन्त में Submit करें एवं Print दबाकर Print लें।
4. Submit करते ही पंजीयन क्रमांक दिखेगा। उसे अवश्य नोट कर लें। बाद में उस पंजीयन क्रमांक से भी प्रवेश विवरण पत्र का प्रिंट ले सकेंगे। तुरन्त Print नहीं लेने पर, बाद में पंजीयन क्रमांक से Find से पंजीयन विवरण पत्र का प्रिंट ले सकेंगे।
5. कम्प्यूटर द्वारा विवरण भरकर छात्र का पंजीयन /रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई त्रुटि हो तो 24 घंटे तक उसे सुधार किया जा सकता है।
6. पंजीयन प्रक्रिया को पूर्ण करने की, छात्र /अभिभावक द्वारा भरे गये पंजीयन विवरण प्रपत्र, उनके संलग्नक एवं अन्य कागजात को सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी वेदपाठशाला के व्यवस्थापक/ गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक की रहेगी।
7. छात्र /अभिभावक द्वारा भरे गये पंजीयन विवरण प्रपत्र, उनके संलग्नक को तुरन्त प्रतिष्ठान पते पर भेजना है।
8. पाठशालाएं आनलाइन पंजीयन (Online Registration) में होनेवाले व्यय को प्रतिष्ठान द्वारा की जानेवाली आकस्मिक अनुदान राशि के लिपिकीय व्यय (10%) में से दर्शा सकती हैं।



(प्रो. विरूपाक्ष वि. जङ्गीपाल)

सचिव

सूचना-

1. नवीन छात्र के पंजीयन आवेदन पत्र का नमूना संलग्न है। कृपया प्रपत्र को डाउनलोड कर छात्र से छात्र / अभिभावक से भरवाकर आनलाइन प्रवेश (Online Registration) का अभ्यास करें।
2. वेदपाठशाला के व्यवस्थापक/ गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक को 2018 में ही Log-in-Id एवं Password दिया गया था। नवीन स्वीकृत अध्यापकों को Log-in-Id एवं Password दिये जायेंगे।
3. जो गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों ने अपने अपने ई-मेल नहीं प्रेषित किया है, वे तुरन्त अपने अपने ई-मेल प्रेषित करें।
4. नवीन वित्त रहित इकाई की स्वीकृति नहीं होगी एवं वित्त रहित इकाई में नवीन छात्र प्रवेश मान्य नहीं होगा। वित्त पोषित अध्यापक के अधीन 10 छात्रों (सभी मिलकर) के अतिरिक्त 5 वित्त रहित छात्र प्रवेश लेकर वेद अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम यदि किसी भी पाठशाला एवं इकाई में वित्त पोषित होने की स्थिति हो वहां छात्र जोड़कर वित्त पोषित किया जाना आवश्यक है।



(प्रो. विरूपाक्ष वि. जङ्गीपाल)

सचिव